

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय महिला अधिकारिता**  
**राजस्थान, जयपुर**

एफ 19. (1) (4) / निमअ / मविका / सा.कार्य प्रशि / 2009 / 17804

जयपुर, दिनांक 9.6.14

**कार्यालय आदेश**


महिला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नवीन चयनित/अप्रशिक्षित 30 साथिनों के 10 दिवसीय कार्य प्रशिक्षण हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 26(4)( )WB-111/JPC(t&c)WCD/04/34449 दिनांक 13.07.2012 में संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से अब वित्तीय मानदंड/दरे निर्धारित की जाती है। उक्त 10 दिवसीय कार्य प्रशिक्षण का कार्य संशोधित मापदण्डों/दरों के अनुसार निश्चित समय पर संपादित करना सुनिश्चित करें।

**साथिन 10 दिवसीय कार्य (जॉब) प्रशिक्षण— (बैंच संख्या 30 साथिन एवं 05 अन्य व्यक्ति)**

क्र.सं.	मद	कुल व्यय राशि (रूपयों में)
1	2	4
1.	साथिनों की भोजन व्यवस्था (नाश्ता, दो बार भोजन, दो चाय प्रति प्रशिक्षणार्थी) (140× 10 × 35)	49,000.00
2.	प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थियों को आने जाने का वास्तविक किराया (200× 35)	7,000.00
3.	अतिथि वक्ताओं का मानदेय (प्रतिदिन एक) (500× 10)	5,000.00
4.	प्रशिक्षण सामग्री (50× 35)	1,750.00
5.	प्रमुख कार्यालयों का अवलोकन एवं चर्चा	1,500.00
6.	आकस्मिक व्यय(रिपोर्ट लेखन एवं फोटोग्राफी इत्यादि)	3,000.00
7.	दो प्रशिक्षकों के लिए मानदेय (500× 2 × 10)	10,000.00
8.	आवास एवं अन्य व्यवस्थाएँ :-  (अ) आवास एवं प्रशिक्षण स्थल व्यवस्था का किराया (प्रति दिन 1500/-रूपये) (1500× 10)  (ब) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-दो (प्रति दिन 150/-रूपये) (150× 2 × 10)  (स) स्वीपर-एक (य) चिकित्सक की जांच एक मुश्त (दो बार)	15,000.00  3,000.00  750.00 1,000.00
	<b>कुल योग</b>	<b>97,000.00</b>

*[Handwritten signature]*

उपरोक्त दरो के अनुसार प्रस्तावित व्यय राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे। साथिन कार्य (जॉब) प्रशिक्षण हेतु इससे पूर्व जारी किये दरो/मापदण्डों के आदेशों के अतिक्रमण में ये आदेश जारी किये जाते है तथा ये आदेश जारी होने वाली तिथि से लागू होंगे।

  
(राजेश यादव)  
निदेशक  
महिला अधिकारिता

एफ 19. (1) (4)/निमअ/मविका/सा.कार्य प्रशि/2009/ 17805-908 जयपुर, दिनांक 9.6.14  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
3. मुख्य लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, महिला अधिकारिता।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
6. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, समस्त।
7. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक  
महिला अधिकारिता